



Neutral Citation No. 2026:AHC:127558

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 19937 वर्ष 2026

मोहन कथरिया उर्फ पप्पू

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : राम आशीष पांडे

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, प्रशांत मिश्रा

न्यायालय संख्या – 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम आशीष पांडे, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. यह जमानत आवेदन, आवेदक को मामला अपराध संख्या 75 वर्ष 2026, धारा 123, 64(1), 76 भारतीय न्याय संहिता के तहत, पुलिस स्टेशन-बकेवार, जिला-इटावा में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कथित घटना 8 अगस्त 2025 को घटी थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट सात महीने से अधिक की देरी के बाद 25 मार्च 2026 को दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप है कि आवेदक द्वारा विवाह के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध स्थापित किया गया था। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आपसी सहमति से बने संबंध के मामला को बलात्कार के अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है। पीड़िता बालिग और परिपक्व महिला थी, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। वह आवेदक के साथ काफी समय तक संबंध में रही, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने आवेदक और उसके भाई सोनू के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-आरोपी अर्थात् सोनू कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16104 वर्ष 2026 में पारित आदेश द्वारा दिनांक 12 मई 2026 को जमानत दे दी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और वह 20.05.2026 से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी अर्थात् सोनू कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी अर्थात् सोनू कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसी आदेश को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 20.05.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- **मोहन कथरिया उर्फ पप्पू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप निजी मुचलका और समान राशि में दो जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(1) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा/खुला रहेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता / 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश में धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता / 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। और यदि आवेदक निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी घोषणा में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता / 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय होने और (3) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण जज को गवाहों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16 जून, 2026

कीर्ति

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”